AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं की जागरूकता

ORIGINAL ARTICLE

Author
श्रीमती शीला पिल्ले,
प्राचार्या,
आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पॉवरमेंट, अवंति विहार रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो विभिन्न ज्ञात और अज्ञात कारणों से मस्तिष्कीय कोशिका के क्षतिग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। आज कल के परिवेश में बालिकाओं के साथ कई प्रकार के शोषण किये जा रहे हैं,। बालिकाओं की सुरक्षा की तैयारी न तो घर वाले अच्छी तरह से कर पा रहे है, न ही समाज उनकी देख–रेख करने में सहायक है। बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित बालिकायें दोहरे रूप से कठिनाई में होती है। पहले तो वे बौद्धिक रूप से कमजोर है और दूसरी ओर अपनी सुरक्षा भी नही कर पाती। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके परिवार वालो की होती है। इस संबंध में माताओं का फर्ज होता है कि वे जागरूक होकर सुरक्षा प्रदान कर मदद पहुँचाने के लिए तैयार व तत्पर रहती है। इसके लिए माताओं को यौन शोषण की जानकारी देना व इससे बचाव के तरीकों की सम्पूर्ण जानकारियाँ अति आवश्यक हैं। मातायें एक प्रेरणात्मक व प्रशिक्षक माध्यम बनकर बौद्धिक दिव्यांगता बालिकाओं को यौन शोषण के बचाव के बारे में जानकारियॉ देते हुए सुरक्षित जीवन जीने की कला सिखाती हैं इसलिए माताओं को गंभीर समस्या से जागरूक होना अति आवश्यक है। अल्प एवं अति अल्प बौद्धिक दिव्यांगता बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर नही पाया जायेगा की परिकल्पना की गई है। प्रस्तुत शोध अल्प में बौद्धिक दिव्यांगता बालिकाओं के 50 माताओं एवं अति अल्प बौद्धिक दिव्यांगता बालिकाओं के 50 माताओं से स्वयं निर्मित प्रश्नावली द्वारा आंकडों का संकलन किया गया। अल्प एवं अति अल्प बौद्धिक दिव्यांगता बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं के जागरूकता में सार्थक अंतर के लिए टी मूल्य 13.08 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता की अंश 0.98 के लिए 0.05 स्तर पर हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्प एवं अति अल्प बौद्धिक दिव्यांगता बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं के जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है।

मुख्य शब्द

मानसिक मंदता, यौन शोषण, माताएं, सुरक्षा, जागरूकता।

अध्ययन का उद्देश्य

- बालिकाओं में यौन शोषण की समस्या आज के युग की एक ज्वलन्त समस्या हैं। यह समस्या और भी गम्भीर हो जाती है जब बालिकाएं मंद बुद्वि हो। मंद बुद्वि बालिकाओं का वर्तमान समय में यौन शोषण के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक हैं। यह यौन शोषण शब्दिक व शारीरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है।
- प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि मंद बुद्वि बालिकाओं की माताओं ने यौन शोषण के प्रति जागरूक कर रखा है। यह जागरूकता शब्दिक व शारीरिक दोनों ही हो सकती है।
- शारीरिक जागरूकता जैसे कराटे, जूड़ो आदि का प्रयोग बालिकाओं को बचा सकता हैं। माताओं को बालिकाओं को जागरूक बनाने के समय पहले उन्हे पुरूषों की गलत नजर को पहचानना सिखाना पड़ेगा कि अनजान पुरूष अथवा घर के पुरूष सदस्य कब किसे गलत नजर से देख रहे है व कुछ कामुक इशारे कर रहे है, कब उनका स्पर्श गलत है।
- संबंधित साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इस प्रकार का शोध भारत में पहले नही हुआ है। अतः इस शोध का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में बालिकाओं को पुरूष की गलत नजर से स्वयं को बचाने में उनकी माताओं ने बालिकाओं को कितना जागरूक कर रखा है, यह ज्ञात करना है। प्रस्तुत शोध के द्वारा मंद बुद्वि बालिकाओं की माताएँ अपनी बालिकाओं को पुरूषों की कामुकता से जागरूक करवाएगीं व इस प्रकार न केवल उनका, बल्कि समाज व राष्ट्र का भला करेंगी।

आवश्यकता और महत्व

आज कल के परिवेश में बालिकाओं के साथ शोषण किये जा रहे हैं,। बालिकाओं की सुरक्षा की तैयारी हम सही तरह से कर पा रहे है न ही समाज उनकी देख–रेख कर पा रहे है। ऐसी परिस्थिति में शोषण होना अनिवार्य है।

- सामान्य बालिकाओं के जागरूकता के लिए माता–पिता अपने बच्चो के लिये सुरक्षा कौशल तक प्रशिक्षण दिलाते हैं जैसे–कराटे, जूड़ो आदि। मानसिक विकलांग बालिकाओं के माता–पिता इस विषय में कितने जागरूक हैं, वे गलत धारणा में रहते हैं कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता नही होती है और इन बालिकाओं के साथ भी यौन शोषण हो रहा है। वे बोल नही पाती, समझ नही पाती, तो क्या सुरक्षा से वंचित रखना चाहिए?
- मानसिक विकलांगता से ग्रसित बालिकायें दोहरे रूप से कठिनाई में होती है। पहले तो वे बौद्विक रूप से कमजोर है और दूसरी ओर अपनी सुरक्षा भी नही कर पाती। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके परिवार वालो की होती है। इस संबंध में माताओं का फर्ज होता है कि वे जागरूक होकर सुरक्षा प्रदान कर मदद पहुॅचाने के लिए तैयार व तत्पर रहे। इसके लिए माताओं को यौन शोषण की जानकारी देना व इससे बचाव के तरीकों की सम्पूर्ण जानकारियाँ अति आवश्यक हैं। मातायें एक प्रेरणात्मक व प्रशिक्षक माध्यम बनकर मानसिक विकलांग बालिकाओं को यौन शोषण के बचाव के बारे में जानकारियाँ देते हुए सुरक्षित जीवन जीने की कला सिखाती हैं इसलिए माताओं को गंभीर समस्या से जागरूक होना अति आवश्यक है।

  सुरक्षाः– बचन या बचाव करना, किसी दुर्व्यवहार से अपने को सुरक्षित करना।

  माताः– शारीरिक रूप से बालिका को जन्म देने वाली को माता कहते हैं।

  जागरूकताः– किसी व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
- मानसिक रुप से मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं का अध्ययन।
- अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण सुरक्षा के प्रति माताओं की जागरूकता का अध्ययन।
- अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं की जागरूकता का अध्ययन।

चयन का आधार

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता के द्वारा मानसिक मंद बालिकाओं के यौन शोाषण से सुरक्षा के प्रति माताओं की जागरूकता का अध्ययन किया गया हैं।

सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों का संग्रह करने के तीन उद्देश्य हैंः–

1. वर्तमान स्तर का निर्धारण
2. वर्तमान स्तर व मान्य स्तर में तुलना
3. वर्तमान स्तर का विकास

शोध अभिकल्प

न्यादर्श

प्रस्तुत लघु शोध हेतु रायपुर जिले के आकाँक्षा लायन्स स्कूल के मानसिक मंद बालिकाओं के माताओं एवं आदर्श द्वीप स्कूल के बालिकाओं के माताओं का चयन कर न्यादर्श के रूप में लिया गया हैं। जिसमें अल्प मानसिक मंद बालिकाओं के 50 मातायें एवं अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं के 50 माताओं हैं। जो निम्न स्कूलो से हैंः–

क्र.	विद्यालय	कुल	अल्प बालिकाओं के मातायें	अतिअल्प बालिकाओं के मातायें	योग
1	आकांक्षा मानसिक विकलांग संस्था, अवंति विहार, रायपुर	050	20	30	050
2	आदर्श दीप सुन्दर नगर, रायपुर	050	30	20	050
	योग	100	50	50	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

परिकल्पना की पुष्टि

1. अल्प एवं अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं की जागरूकता में सार्थक अन्तर नही पाया जायेगा।

अतिअल्प एवं अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण माताओं के प्राप्तांको का मध्यमान एवं प्रमाणिक विचलन सुरक्षा के प्रति का तालिका

प्रकार	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	स्वतंत्रांश	'टी' मूल्य	परिणाम
अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं की माताएं	50	19.88	2.60	98	13.08	0.05 स्तर पर सार्थक अंतर
अल्प मानसिक मंद बालिकाओं की माताएं	50	12.62	2.95			

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

2. आंकड़ों के संकलन में अतिअल्प मानसिक मंद बालिकाओं के माताओं का मध्यमान 19.88 प्राप्त हुआ। इससे ज्ञात होता कि बालिकाओं के माताओं की यौन शोषण के प्रति जागरूकता उच्च स्तर की हैं।
3. अल्प एवं अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं के जागरूकता में सार्थक अंतर के लिए टी मूल्य 13.08 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता की अंश 0.98 के लिए 0.05 स्तर पर हैं। यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्प एवं अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं के जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है।

4. वर्तमान समय में लड़के एवं लड़कियों में कोई अंतर नहीं समझा जाता। अभिभावक वे सारी सुविधाएं लड़कियों को भी प्रदान करते है जो लड़कों को दिया जाता है जिससे वे अपना जीवन सुख से जीने का अधिकार पा सके, लेकिन अल्प मानसिक मंद बालिकाओं के माताओं में सार्थक अंतर पाया गया।

सुझाव

प्रस्तुत लघु शोध में मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं के जागरूकता का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के फलस्वरूप शोधकर्ता ने पाया कि अल्प एवं अति अल्प मानसिक मंद बालिकाओं में यौन शोषण से सुरक्षा के प्रति माताओं के जागरूकता में सार्थक अंतर पाया गया है। इस योजना को सफल बनाने के लिए सुझाव इस प्रकार हैः–

- कोई व्यक्ति या बालक घर, घर से बाहर किसी भी परिस्थति में दुर्व्यवहार करे तो तुरंत जोर से चिल्लायें उन्हें इस बात का समझ विकसित करें।
- अभिभावकों को बालिकाओं को सही प्रशिक्षण देने में मार्गदर्शन करें।
- भूमिका अभिनय में 5–10 विद्यार्थियों का एक समूह निर्धारित कर उद्देश्य के अनुरूप एक लघु नाटिका कराना।
- भूमिका अभिनय की पटकथा एवं उद्देश्य विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में तैयार करना।
- अभिनय के लिए चयनित विद्यार्थी उपयुक्त होने चाहिए।
- कठपुतली नाटक के द्वारा यौन शिक्षा बच्चों को विद्यालय में दिखाना। इस खेल प्रयोग से बालक–बालिकाओं में दुष्परिणाम संबंधित बाते समझ सके।
- कक्षा में वातावरण ऐसा हो जिससे बच्चे में गलत व्यवहारों में ध्यान न भटके ।
- कक्षा में अनुशासित कर कक्षा शिक्षण को सफल बनाये।
- आवश्यकतानुसार या जब भी शिक्षक अभिभावक सम्मेलन के दिन मातायें विद्यालय में उपस्थिति होती है उस दिन माताओं को अवगत कराना चाहिये, जिससे घर पर भी उसे इस विषय पर सुधार सके या समझाना चाहिये।
- विद्यालय में परामर्शदाता द्वारा बालिकाओं, माताओं, अभिभावकों को समयानुसार उन्हें उनकी समस्याओं को समझाना।
- कुछ महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन कर बालक–बालिकाओं में यौन शोषण को रोकना जैसे– अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बाल–दिवस, मातृ–पितृ दिवस एवं अन्य ।
- हस्तक्षेपी उपागम यानि नवीन पाठ्यक्रम को स्थापित पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय के रूप में अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में जोड़ दिया जाए। विद्यालय की समय सारणी में इस नवीन विषय को पृथक से कुछ कलांश तक रखा जाय।

समाज के लिए

- स्थानीय सामुदायिक एवं विद्यालयीन वातावरण के द्वारा यौन शिक्षा कार्यक्रम निर्धारण एवं लागू किए जाने से संबंधित निर्णय लेते समय स्थानीय एवं विद्यालयीन वातवारण को सकारात्मक मदद मिलेगा।
- कार्य–योजना के विकास में अभिभावकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, समुदाय के महत्वपूर्ण व्यस्कों, अध्यापकों के साथ चर्चा की जानी चाहिये।
- एक विशिष्ट कार्य योजना, जिसमें यौन शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य, अपेक्षाएं, समय योजना तथा समन्वयक दल का निर्माण किया जाए।
- यौन शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन और कार्य की समीक्षा की प्रक्रिया के साथ समय–समय पर परिवर्तनशील आवश्यकताओं, समस्याओं का सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्यक्रम को समृद्ध बनाया जाना चाहिए।

- कार्यक्रम का परिशोधन एवं समन्वय के माध्यम से अभिभावकों की प्रतिक्रिया एवं विचारों को सम्मान देते हुए यौन शिक्षा कार्यक्रम समय–समय पर परिशोधित करते हुए रहना चाहिए। इससे कार्यक्रम की उपयोगिता बनी रहेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जोसेफ आर. ए. (2003), पुर्नवास के आयाम, समाकलन पब्लिशर्स, विकलांग समाकलन संस्थान, करौंदी, बी. एच. यू. , वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
2. कुट्टी ए.टी. थ्रेसिया, ग्रोवर उषा, (2005),बी. एड. (एस. ई. डी. ई.) विशेष शिक्षा, मानसिक विकलांगता का सामाजिक परिपेक्षय एवं अभिभावक, परिवार व समुदाय में कार्य करना, मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय। पेज–11–12
3. शर्मा रमा, मिश्रा एम. के., *नारी शोषणः आइने और आयाम,* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस प्रल्लाद गली, अंसारी–पेज 65
4. जौहरी रचना, गुप्ता सुभाष चन्द्र, *महिला उत्पीड़न,* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस– पेज 149
5. अंडरवुड एवं अन्य (2007) Effective practice for sexually traumized girls: Implication for counseling and education. *International Journal of behavioral consul tation and therapy.* V(3), PP_ 403_419,
6. Jamie P. Morano (2001), Sexual abuse of the mentally retarded patient: Medical and legal analysis for the primary care Physician, *Journal of clinical psychialry,* Vo13 (3), PP. 126_ 135
7. Louis Harris June (1993) Common sexual Harassment in school survey. (AAUW, 1993.p.5)
8. Carlson, 1995: Potopowitz 1995 AAUW survey in high school sexual harassment experienced in school in grade 8_11
9. सेक्युअलिटी एण्ड द मेण्टली हैण्डीकैप्डः ए मैनुएल फार पैरेन्टस एण्ड टीचर्स, एस. ई. सी.आर. टी.,एफ. पीए. आई।
10. सेक्युअलिटी एण्ड द मेण्टली रिटार्डेडः ए क्लिनिकल एण्ड थैराप्यूटिक गाइड बुक, 1992 कॉलेज हिल प्रेस।

––==00==––